जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 18.07.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित पशु कटान में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 18.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध पशु तस्करी/कटान में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर प्रतिबन्धित पशु कटान में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के दो साथी शावेज पुत्र साबिर व प्रवीन पत्नी साबिर को दिनांक 14.05.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त यूनुस उर्फ सिरकटा घटना की दिनांक से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. यूनुस उर्फ सिरकटा पुत्र सलीम निवासी टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 157/16 धारा 307, 427 भादवि व 3/8 गोवध अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 204/19 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 21/20 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 22/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. मु0अ0सं0 25/20 धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. मु0अ0सं0 05/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
7. मु0अ0सं0 252/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।